रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 209] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अगस्त 17, 1972/श्रावण 26, 1894
No. 209] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 17, 1972/SRAVANA 26, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August 1972

G.S.R. 376(E).—In pursuance of section 12A of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby specifies the Orders namely, "The West Bengal Foodgrains Procurement (Levy) Order, 1971" and "The West Bengal Rice Mills (Control and Levy) Order, 1971," made by the Government of West Bengal under section 3 of the said Act, to be special Orders for purposes of summary trial under the said section 12A.

2. This notification shall remain in force till the 30th November, 1972.

[No. 203(GEN)(1)/84/72-PY.II.]

A. K. MAJUMDAR, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 1972

सा०का०नि 376 (अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 12-क के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा बनाए गए आदेशों, अर्थात् "पश्चिमी बंगाल खाद्यान्न उपादन (उदग्रहण) आदेश, 1971" और "पश्चिमी बगाल धान कट्टन (नियंत्रण और उदग्रहण) आदेश, 1971", को उक्त धारा 12-क के अधीन संक्षिप्त विचारण के प्रयोजनों के लिए विशेष आदेशों के रूप में एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है ।

2. यह अधिसूचना 30 नवम्बर 1972 तक प्रवृत रहेगी ।

[सं० 203(जी० ई० एन०) (1)/84/72–पी० वाई–2]

ए० के० मजुमदार, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972